विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
17 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम- हसौलिया, परगना- साण्डी, तहसील- बिलग्राम, जनपद हरदोई के किसानों की भूमि की पैमाइश किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक- 03 अगस्त, 2023 जो कि अपर मुख्य सचिव , राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न किसानों के प्रार्थना- पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या- क्या थें और उक्त बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	सन्तराम उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 रामविलास व अन्य निवासी ग्राम हसौलिया की भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा जबरन कब्जे की शिकायत के क्रम में प्रश्नगत भूमि की पैमाइश हेतु उ 0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा- 24 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी बिलग्राम के न्यायालय में वाद संख्या-टी202310330305037 वमुकदमा रामसरन आदि बनाम मथुरा आदि व वाद संख्या- टी202310330305038 वमुकदमा शारदा देवी आदि बनाम राजाराम आदि व वाद संख्या- टी201910330300431 वमुकदमा रामचरन आदि बनाम जगदीश योजित है। उक्त तीनों वादों में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा पैमाइश कर आख्या न्यायालय को प्रेषित कर दी गयी है। उक्त सभी वादों को नियमानुसार सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित कर दिया जायेगा।
(ग) क्या उक्त कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।